निरीक्षण आख्या **कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर** के अवधि **05/2015** से **04/2016** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री टी.एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सूर्य पाल, लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **13.05.2016** से **20.05.2016** तक **श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

## भाग-प्रथम

**परिचयात्मकः-** इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री रामसनेही, स0ले0प0अ0 एवं श्री एस0के0सिंह, स0ले0प0अ0 के द्वारा दिनांक 27.05.2015 से 30.05.2015 तक श्री पी0सी0 श्रीवास्तव, ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 09/2013 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह **11/2014** से **04/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभालाः

| **क्र.सं.** | **अधिकारी का नाम** | **पदनाम** | **कार्यरत समय अवधि** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **कब से** | **कब तक** |
| 1. | श्री पंकज पाण्डेय | जिलाधिकारी | विगत लेखापरीक्षा से | 05.11.2015 |
| 2. | श्री अक्षत गुप्ता | जिलाधिकारी | 06.11.2015 | लेखापरीक्षा तिथि तक |

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

| वर्ष | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 | भाग दो 'अ' | भाग दो 'ब' | STAN |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | ले0प0प्रति-22/2010-11 | 1,2 | 1,2,3,4,5 | - |
| | | | | |

(2) सतत अनियमिततायेः- **शून्य**

(3) अप्रस्तुत अभिलेख :- कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि पासबुक, विगत लेखापरीक्षा **वर्ष 2015-16** के अनिस्तारित प्रस्तरों की पत्रावली।

4. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

**(धनराशि ₹ लाख में)**

| वर्ष | आयोजनागत | | आयोजनेत्तर | |
|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय |
| **2013-14** | 1872.71 | 1485.54 | 491.70 | 479.17 |
| **2014-15** | 153.00 | 118.78 | 516.91 | 514.20 |
| **2015-16** | 2579.00 | 1610.92 | 614.81 | 586.00 |
| **2016-17 (04/2016)** | - | - | 119.20 | 44.51 |

## भाग-2 'अ'

.....शून्य.....

## भाग-2 'ब'

.....शून्य.....

**STAN**

**प्रस्तर-1 निधियों का व्यावर्तन (Diversion) ` 88,622/-**

समान्य वित्तीय नियमावली (GFR)-26 के अनुसार- The duties and responsibilities of a controlling officer in respect of funds placed at his disposal are to ensure-

(i) That the expenditure does not exceed the budget allocation &

(ii) That the expenditure is incurred for the purpose for which funds have been provided.

कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर की 'Contingency Register 2015-16 की लेखापरीक्षा नमूना जांच में पाया गया कि मद सं0 15 पैट्रोल एवं गाड़ियों का अनुरक्षण में आबंटित धनराशिसे जनरेटर हेतु डीजल पर (कार्यालय व्यय) ` 88622 धनराशि व्यय किया गया। बजट पत्रावली एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय व्यय में इकाई के पास पर्याप्त बजट आवंटन नहीं था इसलिए मद सं0 15 पैट्रोल एवं गाड़ियों के अनुरक्षण मद में उपलब्ध धनराशि से कार्यालय व्यय किया गया। वित्तीय नियमानुसार किसी एक मद में आवंटित धनराशि से अन्य मद पर व्यय करना (व्यावर्तन) उचित नहीं है।

इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये वाहन अनुरक्षण मद में उपलब्ध धनराशि से जनरेटर हेतु डीजल क्रय किया गया। कार्यालय व्यय में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण उपरोक्त व्यय किया गया।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि जिस मद/उददेश्य हेतु धनावंटन था उस मद पर व्यय न कर अन्य मद/उददेश्य पर व्यय किया गया।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## **भाग-तीन**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान स्थल पर नहीं किया जा सका, उन्हें पृथक से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर** को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य क्षेत्र**